मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा पंचम सत्र

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015

(7 फाल्गुन, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 5] [अंक- 7]

मध्यप्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015

(7 फाल्गुन, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न संख्या 1, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा..

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)- अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस विधायक दल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहूंगा.

अध्यक्ष महोदय - यह प्रश्नकाल है. (व्यवधान)..

श्री आरिफ अकील - आपने हाऊस नहीं चलने दिया, आज भी आप शुरु से ही हाऊस नहीं चलने दे रहे हैं. (व्यवधान)..

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)- अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री खड़े हुए हैं, संसदीय कार्यमंत्री जी एक विषय रखना चाहते हैं. संसदीय कार्यमंत्री जी आपसे अनुमति चाह रहे हैं.

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) - अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है. यह सदन की गरिमा का सवाल है.

श्री भूपेन्द्र सिंह - अध्यक्ष महोदय, ये सदन को चलने नहीं दे रहे हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस विधायक दल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूं.

श्री भूपेन्द्र सिंह - अध्यक्ष महोदय, पूरा एक सत्र हो गया है. पूरा एक वर्ष हो गया है, पूरे एक वर्ष से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं. प्रदेश के विकास में विपक्ष बाधा बना हुआ है. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - मेरा निवेदन यह है कि प्रश्नकाल चलने दें. (व्यवधान)..आप प्रश्नकाल चलने दें. (कांग्रेस पक्ष एवं सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे.) (व्यवधान).मेरा अनुरोध है कि जो भी बात करना है, प्रश्नकाल के बाद करें तो ठीक रहेगा. (व्यवधान)..श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, कृपया अपना प्रश्न करें.

एक माननीय सदस्य - (व्यवधान)..और हमेशा एक ही बात की कि मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं सुनना. ऐसा कब तक चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - मैंने श्री कालूखेड़ा जी को पुकारा है. (व्यवधान)..

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) - अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विधान सभा में सदन के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है. यह संसदीय अपराध है.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्नकाल हो जाने दे.

एक माननीय सदस्य - हमारे नेता का अपमान किया है. इनकी तानाशाही नहीं चलेगी. (व्यवधान)..निंदा प्रस्ताव आना चाहिए.(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय - श्री कालूखेड़ा जी अपना प्रश्न करें. (व्यवधान)..आप प्रश्नकाल हो जाने दें. एक मिनट ठहर जाएं. (व्यवधान)..

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) - अध्यक्ष महोदय, ये क्या कह रहे हैं, आप बता दें? (व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, आप बता दें? (व्यवधान)..

श्री आरिफ अकील -- आप लोग प्लान बनाकर आये हैं. अध्यक्ष महोदय यह सत्र नहीं चलने देना चाहते हैं, भाजपा के लोग सत्र नहीं चलने देना चाहते हैं....(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- एक माननीय सदस्य बोलेंगे तो कुछ सुनाई देगा. यदि सभी एकसाथ बोलेंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा....(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय यह सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं..(व्यवधान) विधान सभा को इन्होंने तमाशा बना रखा है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सुन लें संसदीय कार्यमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं...(व्यवधान)..

श्री भूपेन्द्र सिंह -- जब हाउस शुरू होता है.. दिल्ली से नेता आते हैं और यहां पर प्रदेश के विकास में बाधा खड़ी करना चाहते हैं.(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया दोनों पक्षों के माननीय सदस्य बैठ जायें.

डॉ नरोत्तम मिश्र -- यह लगातार इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगातार अनर्गल आरोप लगाकर , असत्य आरोप लगाकर सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं. सदन के नेता का भाषण नहीं होने देना चाहते हैं. हम यहां पर सदन में निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं...(व्यवधान) मुख्यमंत्री जी विकास और कल्याण की बात करते हैं...(व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग -- कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी.(XX)...(व्यवधान).. (भाजपा के अनेक माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर इस तरह के नारे लगाते रहे)

अध्यक्ष महोदय -- संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं एक मिनट में कह लेने दें.. (व्यवधान)..

श्री राम निवास रावत -- अध्यक्ष महोदय सदन प्रारम्भ हुआ है माननीय सदस्य अपना प्रश्न कर चुके हैं.. कोई घटना नहीं घटी है. सदन को नियम प्रक्रिया से चलने दें..(व्यवधान)...आप क्यों बोलना चाहते हैं क्यों निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- व्यवस्था बनाने के लिए ही बोल रहे हैं. संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं उनको बोलने दें...(व्यवधान)..

श्री गोपाल भार्गव -- सदन के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है. लोकतंत्र की हत्या हो रही है. यह संसदीय अपराध है. सदन के नेता को नहीं बोलने दिया है. (XX). सदन के नेता को यहां पर बोलने नहीं दिया जाता है..(व्यवधान)..

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री राम निवास रावत -- अध्यक्ष महोदय कोई घटना नहीं घटी है किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है. आप क्या बोलना चाहतेहैं..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- मेरा अनुरोध है कि..(व्यवधान)..

श्री राम निवास रावत -- आप यहां पर सत्ता दल की ओर से नहीं बैठे हैं. आप हमारे भी संरक्षक है..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय सदन के नेता सदन में नहीं बोल सकते हैं. आपने अनुमति दी है उसके बाद में नहीं सुन रहे हैं. यह तरीका ठीक नहीं है.(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित.

(10.40 बजे से 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

10.56 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा)पीठासीन हुये)

(सत्ता एवं विपक्ष के सदस्य एक साथ खडे होकर के बोलने लगे)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जायें.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ.नरोत्तम मिश्र) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया प्रश्नकाल होने दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- नहीं, आप हमारी बात तो आने दें. ऐसा थोडे ही होगा. आप हमारी बात नहीं सुनेगे.

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात 11.30 बजे आयेगी.अभी प्रश्नकाल हो जाने दें.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लें.

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता को सदन में बोलने नहीं दिया गया यह संसदीय पाप कांग्रेस ने किया है.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष महोदय इनका लोकतंत्र पर विश्वास हट गया है. इसलिये यह विपक्ष का रोल आज सदन में अदा कर रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, एक बार जब आपने निर्देश दे दिये कि प्रश्नकाल के बाद करें तो क्या यह आपकी बात को भी नहीं सुनेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- उनकी बात भी तो सुनना पडेगी वे भी कांग्रेस के सचेतक हैं. वह मुख्य सचेतक हैं उनकी बात भी सुनना पडेगी....

...व्यवधान...

श्री गोपाल भार्गव-- सदन के नेता को सदन में क्यों नहीं बोलने दिया गया....

अध्यक्ष महोदय-- आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक मिनिट उनकी बात भी सुन लें. उसके बाद कर लेंगे, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद करें लेकिन वह मान नहीं रहे हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-(XX).

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्नकाल हो जाने दें.

श्री रामनिवास रावत—(XX).

अध्यक्ष महोदय-- कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जायें.

श्री रामनिवास रावत-- पहली बार सदन में देखा है कि संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय आचरण कर रहे हैं. आसंदी की बात भी नहीं सुन रहे हैं.

...व्यवधान...

वन मंत्री (डॉ.गौरी शंकर शेजवार)-- अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि हमारी बात भी आने दी जाये.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्नकाल के बाद में आप अपनी बात कहें. (संसदीय कार्य मंत्री से) माननीय मंत्री जी मेरा अनुरोध है . आप एक मिनिट चुप तो रहें. प्रश्नकाल हो जाने दें.

श्री लाखन सिंह यादव-- अध्यक्ष महोदय, सदन में आज हो क्या रहा है. सत्ता पक्ष के सदस्य कैसा व्यवहार कर रहे हैं. आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं.(XX)

अध्यक्ष महोदय--चलिये ,सभी लोग बैठ जायें. संसदीय कार्य मंत्री जी को एक मिनिट बोलने दें. एक मिनिट उनको बोल लेने दें.

श्री शंकरलाल तिवारी -- विधानसभा का सदन नियम और कानून से चलेगा.

...व्यवधान...

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि लंबे समय से यह परम्परा कुछ अज्ञानी लोग इस सदन के मंदिर को खंडित करना चाहते हैं . लगातार यह व्यवधान कर रहे हैं, मैं अकेले अभी की बात नहीं कर रहा हूं . पूरा सत्र आप एक साल का उठाकर के देख लें.

श्री रामनिवास रावत-- फिर प्रश्नकाल में अभी आप क्या कर रहे हो.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- आसंदी की अनुमति से बोल रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- आप उनकी बात आ जाने दें. फिर प्रश्नकाल प्रारंभ कर देंगे.

श्री रामनिवास रावत-- आप लोगों को आसंदी की बात मानना चाहिये या नहीं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- आपको किसने अनुमति दी है बोलने की.

...व्यवधान...

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय ने दी है, मैं बोलूंगा कोई रोक सके तो रोके.यह कोई संसदीय कार्य मंत्री का बात करने का तरीका है.

अध्यक्ष महोदय-- मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है . आप एक मिनिट उनकी बात सुन लें.

एक माननीय सदस्य-- (XX)

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय -- मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है, आप एक मिनट उनकी बात सुन लें, मेरा अनुरोध है.

..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति यहां पर हुई. आप यहां पर आसंदी पर बैठे थे. मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कांग्रेस के सदस्य जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, उस पर चर्चा करें. मैंने कहा कि आप राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलें. आप बजट पर बोलें. यहां जब बोलना चाहते हैं, आप बोलें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- (सीट पर बैठे-बैठे) आपका बजट भाषण शांति से हुआ कि नहीं. यह आप बताओ.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- नरोत्तम जी, कृपया अपनी बात संक्षेप में करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी हमने उनको पूरे ध्यान से सुना.

श्री सत्यदेव कटारे -- (सीट पर बैठे-बैठे) आप तो यह बताओ कि बजट भाषण शांति से पढ़ा गया कि नहीं. एक सदस्य खड़ा नहीं हुआ.

श्री विश्वास सारंग -- आप यह बतायें कि सदन के नेता को क्यों नहीं सुना.

..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी आये, तो कांग्रेस के लोग, ये आरिफ अकील जी से लेकर यहां तक खड़े नहीं हुए. ये सदन की मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं. ये बैठे रहे और तो और जिस विषय पर ये हंगामा कर रहे हैं..

श्री आरिफ अकील -- हम किसी चोर के लिये खड़े नहीं होंगे, हम किसी बेईमान के लिये खड़े नहीं होंगे.

..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- ..जरा आप सुन तो लें. मैंने कहा कि जिस विषय पर ये हंगामा कर रहे हैं, उस व्यापमं के ऊपर इनके एक सदस्य ने ध्यान आकर्षण और स्थगन नहीं लगाया. सिर्फ चरित्र हत्या की राजनीति कर रहे हैं, वह भी ऐसे नेता की, जो तीन-तीन बार जनादेश लेकर आया है, कांग्रेस को धूल चटाकर आया है. सूपड़ा साफ कर दिया है नगर निगम से लेकर लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव में.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें. मेरा माननीय सदस्यों से एवं माननीय मंत्रिगणों से भी अनुरोध है कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें. ..(व्यवधान).. सभी पक्ष कृपया बैठ जायें. कृपया प्रश्नकाल चलने दें. ..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता पर आरोप लगाया है...

अध्यक्ष महोदय -- आपकी बात आ गयी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, अभी कहां से आ गई. अभी मुझे निन्दा प्रस्ताव पढ़ना है.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आपको एक मिनट के लिये अनुमति दी थी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय,मुझे निन्दा प्रस्ताव पढ़ना है. .

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, एक मिनट के लिये अनुमति दी थी. ..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, आपने इनको बोलने के लिये अनुमति दी है, प्रश्नकाल में कौन से नियम के अंतर्गत दी है. आप ही बात दें.

अध्यक्ष महोदय -- संसदीय कार्य मंत्री हैं. एक मिनट के लिये दी थी.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रियाओं का पालन कराना आपका दायित्व है और आपका कर्तव्य है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेषाधिकार है वह. मेरा प्रीविलेज है वह.

..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रियाओं का पालन कराना आपके ऊपर है. हम लोगों का संरक्षण आपके ऊपर है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष महोदय -- आपकी बात आ गई है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शुरुआत ही नहीं की है.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं आ गई आपकी बात.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, यह आपकी बात कहां से आ गई. यह बात आप 11.30 बजे भी कर सकते थे.

..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- .. अध्यक्ष महोदय, एक कोई व्यक्ति बाहर आकर पत्रकार वार्ता करता है. कूट रचित दस्तावेज लेकर आता है. कोई रिफरेंसेस नहीं है कि उस व्यक्ति ने कहां से क्या लाकर दिया. उनको तथ्य कहां से प्राप्त हुए. उन्होंने यह नहीं बताया. एफिडेविट की बात की...

अध्यक्ष महोदय -- आप कृपया प्रश्नकाल चलने दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- ..(व्यवधान).....अध्यक्ष महोदय, अगर हिम्मत है, एसटीएफ को गलत एफिडेविट दिया है ....(व्यवधान).. ..एफिडेविट देकर दिखाये.

अध्यक्ष महोदय -- मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरी बात को पूरी आने दीजिये.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं हो गयी पूरी बात.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रस्ताव पढ़ना है, कहां से हो गया.

श्री अजय सिंह -- अध्यक्ष महोदय, यह आपसे कह रहे हैं कि कहां से हो गया.

..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है कि ये पूरी की पूरी जांच को भटकाना चाहते हैं और भटकाने में इस सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है. इस सदन का दुरुपयोग उस जांच को भटकाने में किया जा रहा है. कल एक कॉल डिटेल जारी कर दी और कहा कि एसटीएफ इसकी जांच कराये. एसटीएफ अगर इसकी जांच करायेगा, अगर एसआईटी इसकी जांच करायेगी..

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आपसे अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें. प्रश्न संख्या 1 ..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- ..अध्यक्ष महोदय, इनके जो वकील हैं, वह अपराधियों के वकील हैं. ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न संख्या 1. ..(व्यवधान).. विधान सभा की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिये स्थगित.

(11.05 बजे से 11.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित.)

समय 11.32 बजे (अध्यक्ष महोदय) (डॉ. सीता सरन शर्मा) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. क्या आप प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय--अभी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है, इसलिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं आयेगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्र--अध्यक्ष महोदय, क्या आप प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं सुनेंगे ?

समय 11.32 बजे.

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय--निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी.

1. श्री अजय सिंह.
2. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
3. श्री दुर्गालाल विजय
4. श्री रामनिवास रावत
5. श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
6. इंजी. प्रदीप लारिया
7. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
8. श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"
9. श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया
10. श्री प्रहलाद भारती.

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)--अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय--अभी कौन सा काम चल रहा है ?

डॉ. नरोत्तम मिश्र--मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लें.

अध्यक्ष महोदय--अभी कौन सा विषय चल रहा है ? (व्यवधान) चलिये, आप बोलिये. माननीय मंत्री, श्री मिश्र जी को एक मिनट सुन लें .

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दें...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--हां, आपको समय देंगे, पहले उनको बोल लेने दें फिर उसके बाद आपको समय देंगे. (व्यवधान) पहले नरोत्तम मिश्र को बोल लेने दें.

समय 11.33 बजे

निंदा प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, चौदहवीं विधान सभा के पहले सत्र से वर्तमान पांचवें सत्र में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा जानबूझकर न केवल सदन की कार्यवाही बाधित की जा रही है, वरन् माननीय राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की अवमानना कर संवैधानिक मर्यादाओं को भी लांघा गया है. सदन के नेता को इरादतन बोलने ना देना, आसंदी की उपेक्षा और लगभग हर दिन सत्र के प्रश्नकाल सहित सारी कार्यवाहियों को बाधित करना , न केवल जनता के प्रति इस सदन की जवाबदेही पर प्रश्नचिन्ह है, वरन् एक गंभीर संसदीय अपराध है, अप्रजातांत्रिक है और सदन की अवमानना भी है. (व्यवधान).

मध्यप्रदेश विधान सभा के गौरवमयी इतिहास में कांग्रेस विधायक दल का इस तरह का आचरण माफी योग्य नहीं है.(व्यवधान).

अत: यह सदन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के असंसदीय एवं अशोभनीय आचरण के लिये उनकी निंदा करता है. (मेजों की थपथपाहट).(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, यह किस नियम के तहत् बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य---कटारे जी, आप नियम तो पूछो मत, आपको नियम पूछने का अधिकार नहीं है ..(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--मैंने उन्हें अनुमति दी है.

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, आप एलाऊ मत करिये, यह गलत परंपरा डल रही है..(व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का समय दिया जाये.

अध्यक्ष महोदय--अब रामनिवास रावत को बोलने दें. (व्यवधान).

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है..(व्यवधान).

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन डॉ. शेजवार जी कर रहे हैं, उनको भी सुन लें.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनें.

अध्यक्ष महोदय--पहले शैजवार साहब, फिर आप. पहले डॉ. शैजवार, मिश्र जी आप बैठ जायें. (व्यवधान).

डॉ.गौरीशंकर शेजवार--अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो प्रस्ताव रखा है ..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र--अध्यक्ष महोदय, उनको समर्थन में तो बोलने दें.

अध्यक्ष महोदय--मैंने उनको बोलने की अनुमति दे दी है.

डॉ. गौरीशंकर शैजवार--माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र जी ने जो कांग्रेस विधायक दल संसदीय दल और कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं. (मेजों की थपथपाहट). माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज तक किसी भी सदन के भीतर पूरे भारत में कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है

कि सदन के नेता को बोलने से रोका जाए. यह सोची समझी साजिश है. विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा घोषणा की गई हम शिवराज सिंह जी जो सदन के नेता हैं इनको बोलने नहीं देंगे. मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने यह संसदीय अपराध किया है.

(व्यवधान)

श्री कमलेश्वर पटेल— सही बात बोलना क्या अपराध है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—श्री रामनिवास रावत जी बोलेंगे. माननीय डॉ.शेजवार जी की बात पूरी हो गई है.

डॉ.गौरी शंकर शेजवार—मेरी बात पूरी नहीं हुई है.

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी आप संक्षेप में अपनी बात करें, उसके बाद श्री रामनिवास रावत जी बोलेंगे.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—रावत जी क्यों बोलेंगे ? क्या इन लोगों ने सदन के नेता को बोलने दिया है क्या ?

(व्यवधान)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—सदन के नेता जब भी खड़े होते हैं, किसी भी समय खड़े होते हैं.

श्री सुखेन्द्र सिंह—क्या बोलेंगे बताईये? व्यापम के बारे में जवाब दें, राज्यपाल के बारे में जवाब दें (व्यवधान)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता जब बोलते हैं तो पूरा सदन चुपचाप बैठता है और उनकी बात को पहले सुनता है मैं अकेले सदन के नेता के लिये नहीं बोल रहा हूं विपक्ष के नेता के लिये भी यह बात है. हमारे दल के लोग संसदीय परम्पराओं का पूरा पालन कर रहे हैं. (व्यवधान)

श्री आरिफ अकील—यह परम्पराएं हो रही हैं ?

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिये पहली लाईन में बैठने के बाद जब राज्यपाल महोदय जा रहे थे तो आप लोगों ने उनका खड़े न होकर के अपमान किया, यह असंसदीय कृत्य है.

श्री अजय सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय—आप मंत्री जी कृपया अपनी बात समाप्त करें. (व्यवधान)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, यह पहली लाईन में बैठे हुए लोग विपक्ष के नेता की दौड़ में लगे हुए हैं. विपक्षीय नेता की दौड़ में असंसदीय काम कर रहे हैं, आप संसदीय अपराध कर रहे हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी आप बैठ जाएं. श्री रामनिवास रावत जी को अनुमति दी है, माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जाएं. (व्यवधान)

(श्री रामनिवास रावत जी द्वारा खड़े होकर बोलने पर सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा उनको बोलने न देने पर) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय---माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मैं सदन का मत लूंगा.

क्या सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(..व्यवधान..)

(11.40 बजे) **ध्यानाकर्षण**

अध्यक्ष महोदय – आज की कार्यसूची में उल्लिखित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी.

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(समय-11.41 बजे)

(1)**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों/तथा संकल्पों संबंधी समिति के षष्टम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण**

(..व्यवधान..)

श्री गोपीलाल जाटव,सभापति, – अध्यक्ष महोदय, मैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

शुक्रवार,दिनांक 27 फरवरी,2015 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार,दिनांक 27 फरवरी,2015	निर्धारित समय
1(क्रमांक-2)	श्री संजय पाठक	20 मिनट
2(क्रमांक-5,11)	सर्वश्री यशपालसिंह सिसोदिया,रामनिवास रावत	40 मिनट
3(क्रमांक-12)	डॉ.गोविन्द सिंह	40 मिनट
4(क्रमांक-15,32)	सर्वश्री दुर्गालाल विजय,हितेन्द्र सिंह सोलंकी	20 मिनट
5(क्रमांक-25)	श्री विश्वास सारंग	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के षष्टम् प्रतिवेदन से सहमत है.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि:-

सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के षष्टम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(..व्यवधान..)

(2) नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री रुस्तम सिंह, सदस्य, – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 231 के उप नियम(3) के अधीन नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन पटल पर रखता हूं.

(.व्यवधान..)

(समय-11.42 बजे) याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय – आज की कार्यसूची में उल्लिखित याचिकाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी.

(समय-11.42 बजे) शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी(संशोधन)विधेयक,2015

सहकारिता मंत्री(श्री गोपाल भार्गव) – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक,2015 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, मैं, सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक,2015 का पुर:स्थापन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय – मैंने मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि(संशोधन) विधेयक,2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) के भारसाधक सदस्य के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित एवं विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु श्री राजेन्द्र शुक्ल,ऊर्जा मंत्री को अधिकृत किया है. मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(2) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि(संशोधन)विधेयक,2015

ऊर्जा मंत्री(श्री राजेन्द्र शुक्ल) – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि(संशोधन) विधेयक,2015 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि(संशोधन) विधेयक,2015 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री राजेन्द्र शुक्ल – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि(संशोधन) विधेयक,2015 का पुर:स्थापन करता हूं.

(..व्यवधान..)

डॉ.नरोत्तम मिश्र - यह दादागिरी हो रही है. कोई नहीं बोलेगा. शिवराज सिंह जी नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार - जब तक मुख्यमंत्री से कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी कोई कुछ नहीं बोलेगा.

(समय-11.43 बजे) **गर्भगृह में प्रवेश**

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्य सर्वश्री अजय सिंह, रामनिवास रावत, कमलेश्वर पटेल, तरुण भनोत, लाखन सिंह यादव, निशंक जैन एवं अन्य सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए एवं बैठ गये.)

अध्यक्ष महोदय – (..व्यवधान..) अपनी जगह पर बैठें. जैन साहब अपने आसन पर बैठें. जनता ने आपको वहीं जगह दी है यहां नहीं दी है. यहां नहीं अपने आसन पर बैठें.

डॉ.नरोत्तम मिश्र - माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं. कोई बात नहीं होगी.

अध्यक्ष महोदय – (गर्भगृह में बैठे कांग्रेस सदस्यों से..)कृपया अपने स्थान पर जाएं.

(..व्यवधान..)

प्रस्ताव

वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित विभागीय अनुदान मांगों पर मतदान के साथ विनियोग विधेयक व अन्य शासकीय आवश्यक कार्य नियमों को शिथिल कर पूर्ण किया जाना

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ.नरोत्तम मिश्र) –

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष एवं उनके दल के सदस्य वर्तमान सत्र के प्रारंभ से ही सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जबकि सदन में उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार व्यापम सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का प्रर्याप्त अवसर भी दिया गया है। इसके बावजूद भी प्रतिदिन प्रतिपक्ष के सदस्यगण प्रश्नकाल प्रारंभ होने से ही कार्यवाही में व्यवधान पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं यहां तक कि वे संवैधानिक मर्यादा तथा अन्य संसदीय मर्यादाओं का भी पालन नहीं कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों के यह सभी कृत्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय व्यवस्था के लिये पूर्णत: अस्वीकार्य हैं। यहां तक कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में भी व्यवधान डाला गया और सदन के नेता को कृतज्ञता प्रस्ताव पर अपना जवाब तक प्रस्तुत करने नहीं दिया। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का यह आचरण पूर्णत: संसदीय परंपरा व मर्यादा के विपरीत एवं निंदनीय हैं। आज भी इसी तरह के आचरण की पुनरावृत्ति कर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय कल आपके द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में आसंदी से दी गई व्यवस्था के बावजूद भी उनके आचरण में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में नियम प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही चलाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । नेता प्रतिपक्ष व उनके दल के सदस्योंकी बजट पर चर्चा में कोई रूचि नहीं है, वे सदन के नेता एवं शासकीय कार्य में सहयोग नहीं करना चाहते ।

अत: ऐसी स्थिति में मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज ही वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित विभागीय अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ विनियोग विधेयक व अन्य शासकीय आवश्यक कार्य नियमों को शिथिल कर पूर्ण किये जायें।

(..व्यवधान..)

डॉ.नरोत्तम मिश्र – आप कार्यवाही को आगे बढ़ाएं. मैंने पूरा पढ़ा है.

अध्यक्ष महोदय - माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अब मैं सदन का मत लेना चाहूंगा.

प्रश्न यह है कि आज ही वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित विभागीय अनुदानों की मांगों पर चर्चा, उन पर मतदान के साथ तत्संबंधी विनियोग विधेयक व अन्य शासकीय आवश्यक कार्य नियमों को शिथिल कर पूर्ण किये जायें ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(समय-11.45 बजे)

वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय -अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करेंगे. माननीय वित्त मंत्री जी.

डॉ.नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का कृत्य यह कांग्रेस कर रही है. यह लोकतंत्र की हत्या है.

अध्यक्ष महोदय – आप बैठ जाएं कृपया मैंने वित्त मंत्री जी को बुला लिया है.(..व्यवधान..) माननीय वित्त मंत्री जी के अलावा जो भी बोल रहे हैं उनका नहीं लिखा जायेगा... जो भी बोल रहा है उसका कार्यवाही में नहीं आ रहा है.(..व्यवधान..) कोई भी असंसदीय बात नहीं लिखी जायेगी.

श्री जयंत मलैया (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

मांग संख्या -1	सामान्य प्रशासन के लिये तीन सौ चौसठ करोड़ एकतालीस लाख छियत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए साठ करोड़ चौसठ लाख अड़तालीस हजार रूपये ,
मांग संख्या -26	संस्कृति के लिए एक सौ बाईस करोड़ उनचालीस लाख पन्चानवे हजार रूपये,
मांग संख्या-37	पर्यटन के लिए एक सौ तेईस करोड़ चौतीस लाख बत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या -48	नर्मदा घाटी विकास के लिए एक हजार छह सौ पचपन करोड़ इकतीस लाख चौरान्वे हजार रूपये,
मांग संख्या -65	विमानन के लिए बाईस करोड़ चौतीस लाख सत्तासी हजार रूपये,
मांग संख्या- 03	पुलिस के लिए पांच हजार दो सौ ग्यारह करोड़ छियालिस लाख आठ हजार रूपये,
मांग संख्या-04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए इकतालीस करोड़ अड़तालीस लाख तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -05	जेल से संबंधित व्यय के लिए दो सौ सत्तर करोड़ चौसठ लाख बारह हजार रूपये,
मांग संख्या -06	वित्त से संबंधित व्यय के लिए तेरह हजार सात सौ पचास करोड़ सड़सठ लाख अठ्ठानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -07	वाणिज्यिक कर से संबंधित व्यय के लिए दो हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख चौंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -23	जल संसाधन के लिए तीन हजार तीन सौ चौंतीस करोड़ नौ लाख बयासी हजार रूपये,
मांग संख्या -31	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए एक सौ चौंतीस करोड़ चौरासी लाख अट्ठाईस हजार रूपये,
मांग संख्या -40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट के लिए एक सौ उनहत्तर करोड़ नियान्नवे लाख बीस हजार रूपये,
मांग संख्या -45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए छह सौ इकतालीस करोड़ पचासी लाख चौहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या -57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ चवालीस करोड़ पचहत्तर लाख निन्यान्वे हजार रूपये,
मांग संख्या -60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए दो सौ इकतीस करोड़ इक्यावन लाख रूपये,
मांग संख्या -61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए तीन सौ तेरह करोड़ चार लाख छियानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -17	सहकारिता के लिए सात सौ इकतीस करोड़ तेईस लाख चवालीस हजार रूपये,
मांग संख्या -30	ग्रामीण विकास के लिए दो हजार इकसठ करोड़ पचपन लाख पन्द्रह हजार रूपये,
मांग संख्या -34	सामाजिक न्याय के लिए एक सौ अड़सठ करोड़ इक्यावन लाख सन्तावन हजार रूपये,
मांग संख्या -59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दस करोड़ रूपये,
मांग संख्या -62	पंचायत के लिए एक सौ पचहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार रूपये,
मांग संख्या -74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए ग्यारह हजार एक सौ चौबीस करोड़ पच्चासी लाख दो हजार रूपये,
मांग संख्या -10	वन के लिए दो हजार तीन सौ एक करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये
मांग संख्या -22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण के लिए नौ सौ पचास करोड़ बानवे लाख अड़तालीस हजार रूपये,
मांग संख्या -75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पांच हजार पांच सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख रूपये,
मांग संख्या -71	सिहस्थ 2016 से संबंधित व्यय के लिए दो सौ पचहत्तर करोड़ दो हजार रूपये,
मांग संख्या -24	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिए तीन हजार चार सौ बीस करोड़ सन्तानवे लाख पचहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए आठ सौ चौहत्तर करोड़ इक्यानवे हजार रूपये
मांग संख्या -19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए चार हजार चौवन करोड़ छियानवे लाख बावन हजार रूपये,
मांग संख्या -28	राज्य विधान मंडल के लिए बहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख बावन हजार रूपये,

मांग संख्या -38	आयुष के लिए तीन सौ चौहत्तर करोड़ छब्बीस लाख सोलह हजार रूपये,
मांग संख्या -72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए सन्तानवे करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या -73	चिकित्सा शिक्षा के लिए पॉच सौ बहत्तर करोड़ बारह लाख पॉच हजार रूपये,
मांग संख्या -39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ दो लाख तिरासी हजार रूपये,
मांग संख्या -13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए एक हजार आठ सौ इक्यासी करोड़ बाईस लाख इकहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए सन्तानवे करोड़ पचास लाख रूपये,
मांग संख्या -44	उच्च शिक्षा के लिए एक हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ पैंतालीस लाख बयासी हजार रूपये,
मांग संख्या -47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए छह सौ एक करोड़ चौरान्वे लाख सात हजार रूपये,
मांग संख्या -70	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सात करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठासी हजार रूपये,
मांग संख्या -14	पशुपालन के लिए सात सौ आठ करोड़ नब्बे लाख चौरान्वे हजार रूपये
मांग संख्या -16	मछली पालन के लिए तिरसठ करोड़ निन्यानवे लाख पच्चीस हजार रूपये,
मांग संख्या -20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए एक हजार दो सौ इक्यानवे करोड़ चौवन लाख छब्बीस हजार रूपये,
मांग संख्या -29	विधि और विधायी कार्य के लिए सात सौ अट्ठाईस करोड़ इक्यासी लाख निन्यानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चार सौ उनचास करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठावन हजार रूपये,
मांग संख्या -56	ग्रामोद्योग के लिए दो सौ चौबीस करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार रूपये,
मांग संख्या -11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख चौंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -43	खेल एवं युवक कल्याण के लिए एक सौ बारह करोड़ दस लाख छत्तीस हजार रूपये,

मांग संख्या -51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए एक सौ सत्रह करोड़ तेईस लाख ग्यारह हजार रूपये,
मांग संख्या -27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए सात हजार दो सौ दस करोड़ तिहत्तर लाख पॉच हजार रूपये,
मांग संख्या -77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) दो हजार चार सौ पैंतीस करोड़ पच्चासी लाख सत्तर हजार रूपये
मांग संख्या -12	ऊर्जा के लिए नौ हजार दो सौ तीन करोड़ अट्ठानवे लाख बानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -25	खनिज साधन के लिए अड़तीस करोड़ बारह लाख पचपन हजार रूपये,
मांग संख्या -32	जनसंपर्क के लिए दो सौ उनचास करोड़ छप्पन लाख उनहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए चौवन करोड़ चौसठ लाख तिरासी हजार रूपये,
मांग संख्या -18	श्रम के लिए एक सौ बयासी करोड़ चौबीस लाख तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या -63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए बासठ करोड़ नब्बे लाख नवासी हजार रूपये,
मांग संख्या -66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए आठ सौ सत्तासी करोड़ तीस लाख आठ हजार रूपये,
मांग संख्या -69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए चौदह करोड़ पचास लाख सत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -08	भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार दो सौ अट्ठासी करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए तिरसठ करोड़ इक्यासी लाख इक्यानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -35	पुनर्वास के लिए बहत्तर लाख चार हजार रूपये
मांग संख्या -58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए एक हजार नौ सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख तिहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दो हजार तीन सौ तिरासी करोड़ पच्चीस लाख सत्ताईस हजार रूपये
मांग संख्या -33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार छह सौ उन्नीस करोड़ छिहत्तर लाख अट्ठासी हजार रूपये,

मांग संख्या -41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए आठ हजार छह सौ सात करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार रूपये,
मांग संख्या -42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल के लिए आठ सौ पचपन करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार रूपये,
मांग संख्या -49	अनुसूचित जाति कल्याण कें लिए पिन्चानवे करोड़ बाईस लाख तिरसठ हजार रूपये,
मांग संख्या -52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार तीन सौ बयासी करोड़ चौरान्वे लाख सत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या -53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए तीन सौ उनचास करोड़ तीन लाख बानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए छह हजार तीन सौ छत्तीस करोड़ इकतीस लाख चौरानवे हजार रूपये,
मांग संख्या -68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को सहायता के लिए अड़तालीस करोड़ नब्बे लाख तैंतालीस हजार रूपये,
मांग संख्या -55	महिला एवं बाल विकास के लिए दो हजार आठ सौ बहत्तर करोड़ बयासी लाख तेरह हजार रूपये,
मांग संख्या -21	लोक सेवा प्रबंधन के लिए एक सौ सात करोड़ पचास लाख छह हजार रूपये
मांग संख्या -36	परिवहन के लिए एक सौ चौतीस करोड़ तेईस लाख पन्द्रह हजार रूपये,
मांग संख्या -46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दो सौ तेरह करोड़ तिरान्वे लाख चौवन हजार रूपये तक की राशि दी जाए

(माननीय वित्त मंत्रीजी के भाषण के दौरान सत्तापक्ष व विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा व्यवधान के दौरान टीका टिप्पणी की जाती रहीं लेकिन आसंदी की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही में रिकार्ड नहीं किया गया)

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय—श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा. (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली)—अध्यक्ष महोदय, एक दुआ है खुदा से हे ईश्वर कुछ ऐसी (व्यवधान) आपने मकान बनाना महंगा कर दिया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—माननीय महेन्द्र सिंह जी को मैंने बुलाया है (व्यवधान) उनको अवसर दिया है कृपया उन्हें बोलने दें. (व्यवधान)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार टीका-टिप्पणी किए जाने के कारण)

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुसार अनुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची में उल्लिखित राशि दी जाए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

समय 11.55 बजे

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2015 का पुरःस्थापन.

वित्त मंत्री (श्री जयन्त मलैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन करता हूँ. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2015 (क्रमांक 2/1) श्री जयन्त मलैया वित्त मंत्री...(व्यवधान)

श्री जयन्त मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- मैंने, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए सदन में पुरःस्थापित किये गए विधेयकों को आज ही विचार में लिए जाने की अनुमति प्रदान की है.

मैं, समझता हूँ सदन इससे सहमत है. (व्यवधान)

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(व्यवधान)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015)

सहकारिता मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 2015 पर विचार किया जाए. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए. (व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 19 इस विधेयक का अंग बने. (व्यवधान)

खंड 2 से 19 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने. (व्यवधान)

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान)

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015)

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए. (व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खंड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने. (व्यवधान)

खंड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने. (व्यवधान)

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015

श्री जयन्त मलैया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2015 पर विचार किया जाए.(व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने. (व्यवधान)

खंड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने.(व्यवधान)

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयन्त मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पारित किया जाए. (व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

.......व्यवधान.......

समय 12.00 बजे

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र)-- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के वर्तमान फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के लिये निर्धारित समस्त शासकीय,वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि "सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए."

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि "सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

समय 12.01 बजे **राष्ट्रगान**

राष्ट्रगान "जन- गण – मन" का गायन

अध्यक्ष महोदय-- अब जन-गण-मन राष्ट्रगान होगा, कृपया सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया)

अध्यक्ष महोदय--- सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित.

अपराह्न 12.02 बजे विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भोपाल

दिनाँक-26 फरवरी 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधानसभा